



Neutral Citation No.- 2026:एचसी:126621

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19001 वर्ष 2026

हरेंद्र सिंह परिहार उर्फ लल्ला परिहार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक (आवेदकों) के लिए वकील	:	प्रशांत यादव
विपक्षी (विपक्षियों) के लिए वकील	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. सूची दोहराई गई। मुखबिर की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत यादव, प्रथम मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या 151 वर्ष 2026, सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 और बीएनएस की धारा 112(2), पुलिस स्टेशन-प्रेमनगर, जिला-झांसी के अंतर्गत, उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है और उसका नाम तब सामने आया जब पुलिस ने उसे पकड़ा। उसे उसके इकबालिया बयान पर इस मामले में घसीटा गया है, जो साक्ष्य में स्वीकार्य

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वह उक्त अपराध में शामिल था और उसकी संलिप्तता केवल इस आधार पर दिखाई गई है कि वह मुख्य आरोपी बृजेंद्र राजपूत के संपर्क में था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास अच्छी तरह से समझाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 25.04.2026 से जेल में बंद है और अपराध सात वर्ष से अधिक के कारावास के लिए दंडनीय नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो आवेदक न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करते हुए और एफआईआर की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को देखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस विचार का हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. **आवेदक-हरेंद्र सिंह परिहार उर्फ लल्ला परिहार**, जो उपरोक्त केस अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका वह आरोपी है, या जिसके किए जाने का संदेह है।

(ii) आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार आदेश पारित करना खुला रहेगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी (तदनुरूपी धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 82 सीआरपीसी (तदनुरूपी धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार, धारा 174-ए आईपीसी (तदनुरूपी धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक निम्नलिखित निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (1) मामले को खोलना, (2) आरोप तय करना और (3) धारा 313 सीआरपीसी (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करना खुला रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।